राजस्थान सरकार

न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शनसिह तोमर आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 42/019 आर सी एम सए नं0 2019/00221 तारीख रजू 15.10.2019

1 मुस0 केसर देवी पत्नि भरतराम जाति मीना निवासी कारवाड़ मीना तहसील हिण्डौन

2 भरतराम पुत्र जयनारायण जाति मीना निवासी कारवाड़ मीना तहसील हिण्डौन

:—अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डौन सिंटी जिला करौली

— रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व आदेश अदालत मातहत तहसीलदार हिण्डौन आ.ता. पेशी 20.06.2019 प्रकरण क्रमांक एल.आर /2019 /539 अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लेण्ड रेवन्यू ऐक्ट

उपस्थितिः— 1 श्री अशोक नीमनका वकील अपीलान्ट
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार

निर्णय दिनांकः—04.12.2019

वाकेयत इस प्रकार है कि वकील अपीलान्ट ने तहसीलदार हिण्डौन के आदेश दिनांक 20.06. 2019 से अप्रशन्न होकर राजस्थान भू— राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत रेस्पोडेण्ट के खिलाफ अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खसरा नं. 132, 358, 361, 373, 513, 362, 364, 106, 181, 528, ग्राम कारवाड़ मीना तहसील हिण्डौन में स्थित है जो कि अपीलान्ट की खातेदारी एवं कास्त की भूमि है इस आराजी का सीमाज्ञान कराने हेतु तहसीलदार हिण्डौन के यहा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें पटवारी हल्का व भू—अभिलेख निरीक्षक को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा टीम गठित करते हुए मौके पर सीमाज्ञान करने के आदेश दिये गये थे जिसकी पालना मे दिनांक 08.07.2019 को सीमाज्ञान करने हेतु मौके पर मय पुलिस जाप्ता पहुची ओर बिना सीमाज्ञान कराये ही टीम ने खानापूर्ति करने का प्रयास किया जिसका विरोध प्रार्थी द्वारा किया गया किन्तु टीम द्वारा अपनी फर्द मौका रिपोर्ट में ऐसा कोई दर्ज नही किया गया वल्कि इस रिपोर्ट को तहसीलदार ने सही मानते हुए कार्यवाही ड्रोप कर दी गई। सीमाज्ञान करने से पूर्व सीमाओ का निर्धारण किया जाता है किन्तु ऐसा कोई निर्धारण टीम द्वारा नही किया गया है मौके पर कोई नाप तोल नही कि गई है अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजिका कर जरिये नोटिस रेस्पोडेण्ट को तलव किया गया जिसमे पेरोकार सरकार उपस्थित आया।

उभयपक्षकार अभिभाषकगण एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वकील अपीलान्ट ने अपने बहस कथन मे अपील मीमो को दोहराते हुए कथन कहा कि तहसीलदार द्वारा गठित सीमाज्ञान टीम ने मौके पर किसी प्रकार का नापतोल नही की गई है मात्र कागजी कार्यवाही की गई है। पडोसी खातेदार लडाकु किस्म का व्यक्ति है मेरा सीमाज्ञान पुनः सही तरीके से कराया जावे मैं पुनः सीमाज्ञान की शुल्क जमा करने को तैयार हू। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमावे।

पैरोकार सरकार ने दोराने बहस कथन में कहा है कि अपीलान्ट का सीमाज्ञान गठित टीक के द्वारा सही कराया गया है मौके पर उपस्थित मजमेआम मे सभी को समझाया गया है अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने बकील अपीलान्ट एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकॉर्ड एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 08.07.2019 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं., 132, 358, 361, 373, 513, 362, 364, 106, 181, 528, ग्राम कारवाड़ मीना तहसील हिण्डौन मे स्थित होने पर इसका सीमाज्ञान कराने हेतु

दिनांक 07.06.2019 को एक आवेदन पत्र तहसीलदार हिण्डौन के यहा प्रस्तुत किया गया था जिसमे तहसीलदार ने अपने आदेश क्रमांक 539 एल आर दिनांक 20.06.2019 से सीमाज्ञान करने हेतु चार सदशीय टीम गठित करते हुए मौके पर सीमाज्ञान करने के आदेश दिये गये थे गठित कमैटी द्वारा मौके पर जो सीमाज्ञान की फर्द मौका पेश की गई है उसमे सीमाज्ञान सम्बंधी सीमाओ का निर्धारण नही करते हुए मात्र नक्सा सीट एवं मुस्तकिल बिन्दू कुऑ से जरीव चलाकर सीमा बताना दर्ज किया गया है। जिसका कोई मुस्तकिल पॉइण्ट फर्द मौका में अंकित नही है। ना ही सीमाज्ञान में सम्बंधित खेतो की सीमाऐ बताई गई है मात्र खसरा नं. व रकवा दर्ज कर दिया गया है जो विधिवत सीमाज्ञान न होकर मात्र खानापूर्ति होना प्रतीत हो रहा है सीमाज्ञान करने से पूर्व आवेदक के खातेदारी खेतो के अलावा मुस्तकिल बिन्दु से आवेदक के खेतो की दूरी एवं आवेदक के प्रत्येक खेत की चारो भुजाओ की नाप करनी होती है ओर उसी अनुशार फर्द मे भी अंकित करनी चाहिए थी किन्तु ऐसा नही किया गया है। जो विधि सम्मत नही है। हम अपील अपीलान्ट स्वीकार करना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार हिण्डौन के आदेश क्रमांक 539 एल आर दिनांक 20.06.2019 के द्वारा कराया गया सीमाज्ञान को निरस्त किया जाता है। तथा तहसीलदार हिण्डौन को निर्देश दिये जाते है कि निबंधक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के सीमाज्ञान करने के लिऐ दिशा निर्देशो के अनुसार भूमि खाली हो उस समय आस पडोस के खातेदारो को सूचना दे कर नियमानुसार आवेदक से निर्धारित शुल्क लिया जाकर मौके पर सीमाज्ञान करावे। अपीलान्ट /आवेदकगण को भी निर्देश दिये जाते है कि वे तहसीलदार हिण्डौन से सम्पर्क करते हुए सीमाज्ञान की शुल्क जमा करा कर सीमाज्ञान तय शुद्वा समय पर करावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(सुदर्शन सिह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2020.01.21 16:06:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: